

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-60/2024]

Md. Arman Ali & Anr.....Appellants.

Versus

Haji Rafiquddin & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date										
1	2	3	4										
	02.4.2026	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-03/2023-24 में दिनांक-03.1.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा/थाना नं०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अररिया</td> <td>बेलवा/297</td> <td>571</td> <td>312,275</td> <td>1.39 डी.</td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक 17.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षीगण द्वारा Written Note of Argument दाखिल है।</p> <p>अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनकी माता के द्वारा खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी से दो अलग-अलग निबंधित केवाला दस्तावेज के माध्यम से वर्ष 1970 में किया गया था। तथा यह कि उनकी माता की मृत्यु के उपरान्त उनलोगों का विधिमान्य रूप से दखल-कब्जा रहा है। उनका यह कहना है कि उनके नाम से प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी सं.-2669 कायम किया गया है। उनका यह भी कहना है कि स्वत्व वाद सं.-5252/64 में उनके विक्रेता एवं उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि प्रश्नगत जमीन पर हमेशा से उनलोगों का दखल-कब्जा रहा है। तथा यह कि विपक्षी कभी भी प्रश्नगत जमीन पर दखलकार नहीं रहे हैं।</p> <p>विपक्षीगण का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से प्रश्नगत जमीन का खरीदगी एवं नामान्तरण कराया गया है। उनका कहना है कि अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा गलत तरीके से प्रश्नगत जमीन का विक्रय किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके द्वारा खतियानी रैयत एवं उनके वारिसानों से किया गया है। जिसके उपरान्त नामान्तरण करवाकर लगभग 30 वर्षों से दखलकार होते हुए जोत आबाद कर रहे हैं। साथ ही उक्त भूमि के कुछ अंशों पर उनका घर भी बना हुआ है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी के विक्रेता प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत के फूफी है। तथा यह कि अपीलार्थी के विक्रेता के द्वारा उनके भतीजे की हिस्से वाली जमीन को बेचा जाना न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार विपक्षीगण के द्वारा अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन का खतियान शेख फरीद उद्दीन वो कबीर उद्दीन पिता-शेख तस्दुक हुसैन के नाम से दर्ज है। कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उभय पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के पूर्वज/वारिसानों से प्रश्नगत जमीन का क्रय करने का दावा किया जा रहा है। Indian Succession Act के प्रावधानों के आलोक में बिक्री करने वाले व्यक्ति का Title/Right का निर्धारण किये बिना क्रय करने वाले व्यक्ति का Title/Right की विवेचना किया जाना संभव नहीं है। अतः इस विवाद का निराकरण सक्षम न्यायालय (Civil Court) के समक्ष Title Suit में ही हो सकता है।</p> <p>निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश</p>	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	अररिया	बेलवा/297	571	312,275	1.39 डी.	
अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा									
अररिया	बेलवा/297	571	312,275	1.39 डी.									

02.4.2026

विधिसम्मत है। सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से आदेश पारित होने तक प्रश्नगत जमीन पर Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

P. K.

आयुक्त, 26.

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।



P. K.

02/4/26.

आयुक्त,

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।